न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

पंचायत निगरानी संख्याः 87 / 2023 GCMS No.—2018/00019

छाजूराम पुत्र श्री धन्नाराम मीणा, आयु 60 वर्ष जाति मीणा, निवासी झरवालों की ढाणी, ग्राम नायला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

...निगरानीकर्ता

बनाम

1 श्रीमती मूली देवी बोहरा पत्नि स्व0 श्री हरिशंकर बोहरा, जाति महाजन, निवासी ग्राम नायला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

2 ग्राम पंचायत नायला, पंचायत समिति जमवारामगढ, जिला जयपुर (राज.) जरिये सरपंच।

...विपक्षीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994, बाबत निरस्त किये जाने आदेश दिनांक 08.12.2009 मिसल संख्या 50 ग्राम पंचायत नायला, पंचायत समिति जमवारामगढ, जिला जयपुर (राज.) ।

उपस्थितः–

1. श्री प्रकाश चन्द भारती निगरानीकार की ओर से।
2. श्री दिनेश कुमावत गैर निगरानीकार संख्या 1 की ओर सें

निर्णय दिनांकः 21.06.2024

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी ग्राम पंचायत नायला, पं.स. जमवारामगढ द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 1 श्रीमती मूली देवी बोहरा पत्नि स्व. श्री हरिशंकर बोहरा, जाति महाजन निवासी ग्राम नायला तहसील जमवारामगढ के पक्ष में मिसल संख्या 50 जिसके तहत आदेश दिनांक 08.12.2009 द्वारा पट्टा जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर दिनांक 20.09.22 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस विपक्षीगण जारी करने तथा निगरानीधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। गैर निगरानीकार की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमावत उपस्थित आये। निगरानीकार द्वारा निगरानीधीन पट्टे के संबंध में अपील प्रशासन एवं स्थाई समिति, पंचायत समिति जमवारामगढ के समक्ष प्रस्तुत की गयी। प्रशासन एवं स्थायी समिति पं.स. जमवारामगढ के समक्ष विचाराधीन पत्रावली न्यायालय के आदेश दिनांक 05.10.2023 द्वारा तलब की गयी है। निगरानीधीन पट्टे संबंधी पत्रावली की प्रमाणित छायाप्रति पत्रावली पर उपलब्ध है। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। उभय पक्ष अधिवक्ता की मौखिक बहस सुनी गयी एवं उभय पक्ष अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।

विद्वान अभिभाषक निगरानीकार ने दौराने बहस निवेदन किया कि ग्राम पंचायत नायला द्वारा आदेश दिनांक 08.12.2009 द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 1 के हक में जारी किया गया पट्टा निरस्त करने योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा मौके की जांच किये बिना ही व स्थानीय वार्ड पंच की रिपोर्ट के बिना ही पट्टा जारी करने का आदेश दिया है, जो गलत है। ग्राम पंचायत द्वारा एक ही मिसल संख्या 50 से गैर निगरानीकार संख्या 1 के

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

हक में 81 वर्गगज एवं 86 वर्गगज के पट्टे जारी किर दिये। निगरानीकार द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के हक में जारी 81 वर्गगज के पट्टे की निगरानी माननीय न्यायालय में पेश की है एवं 86 वर्गगज के पट्टे के विरूद्ध अपील प्रशासन एवं स्थायी समिति पं.स. जमवारामगढ में पेश की है। ग्राम पंचायत द्वारा एक ही स्थान के एक ही मिसल से दो पट्टे जारी कर दिये गये, जो निरस्त करने योग्य है। विवादित मौके पर निगरानीकार का कब्जा है और सिविल न्यायालय द्वारा भी दिनांक 02.06.2000 को निगरानीकार का ही कब्जा मानकर गैर निगरानीकार संख्या 1 के ससुर स्व. श्री सेडूराम का दावा खारिज किया गया है तथा उस दावे में स्वयं अप्रार्थी संख्या 1 श्रीमती मूली देवी भी वादी संख्या 1/3 थी। इस प्रकार विवादित भूमि पर श्रीमती मूली देवी का कब्जा नहीं होते हुए भी पट्टा जारी किया गया है। विवादित भूमि का पट्टा निगरानीकार के नाम से भी जारी किया गया जिसे माननीय न्यायालय द्वारा निगरानी संख्या 02/16 बउनवानी हनुमान बनाम छाजूराम में आदेश दिनांक 14.02.2018 द्वारा खारिज कर दिया गया। जिसके संबंध में रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय में निगरानीकार द्वारा की गयी है जो विचाराधीन है। विवादित भूमि निगरानीकार की स्वयं की कब्जाशुदा आबादी भूमि है जिस पर निगरानीकार वर्षो से लकडी की थडी/दुकान बना रखी है। जिसमें व्यवसाय करके निगरानीकार अपने परिवार का जीवन यापन करता है। ग्राम पंचायत ने बिना मौके व कब्जे की जांच किये तथा पडोसियों की आपत्ति लिये अप्रार्थी संख्या के नाम दिनांक 08.12.2009 को पट्टा जारी कर दिया जबकि उक्त भूमि के लगवा स्थित भूमि बाबत निगरानीकार से 8333/– रूपये जिसकी रसीद संख्या 95 दिनांक 05.03.2024 है बाबत ग्राम पंचायत ने लिये है उसका पट्टा भी ग्राम पंचायत ने गैर निगरानीकार संख्या 1 के नाम जारी कर दिया। गैर निगरानीकार संख्या 1 ने बिना किसी कब्जे व रहवास के फर्जी तरीके से ग्राम पंचायत से मिलीभगत करके बनाया गया पट्टा निरस्तनीय है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा फर्जी तरीके से कूटरचित करके बनाया गया है। पट्टा पत्रावली की ऑर्डरशीट दिनांक 08.12.2009 को तत्कालीन सचिव द्वारा अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश क.ख. एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कम संख्या 02 जयपुर द्वारा निगरानीकार के पक्ष में फैसला होने बाबत नोट अंकित किया था इसके बावजूद ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी कर दिया गया। निगरानीधीन पट्टा पत्रावली पर सचिव के हस्ताक्षर भी नहीं है। अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत नायला, पं.स. जमवारामगढ के मिसल संख्या 50 आदेश दिनांक 08.12.2009 द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 1 के पक्ष में जारी किया गया पट्टा संख्या निरस्त फरमाया जावे।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

विद्वान अधिवक्ता गैर निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में अंकित तथ्यों एवं मौखिक बहस अनुसार निगरानीकार द्वारा निगरानी गलत तथ्यों के आधार पर निगरानी पेश की है। गैर निगरानीकार के हक में जारी पट्टा 81 वर्गगज का जारी किया गया है जिस पट्टे की निगरानी निगरानीकार ने माननीय न्यायालय में पेश की है। निगरानीकार द्वारा

जो थडी व दुकान बना रखी है वह रोड पर स्थित है तथा निगरानीकार के हक में ग्राम पंचायत द्वारा कोई पट्टा जारी नहीं किया गया है। निगरानीकार के हक में जारी कूटरचित पट्टे को माननीय न्यायालय ने आदेश दिनांक 14.02.2018 के तहत निरस्त फरमा दिया है। ग्राम पंचायत नायला द्वारा पट्टा दिये जाने की सम्पूर्ण कार्यवाही करते हुए मौका निरीक्षण कर मौका रिपोर्ट तैयार कर कोरम की मीटिंग में पारित आदेश दिनांक 08.12.2009 द्वारा 860/— रूपये जमा कर पट्टा जारी किया है। निगरानीकार के हक में ग्राम पंचायत द्वारा कोई पट्टा जारी नहीं किया है। गैर निगरानीकार संख्या 1 वादग्रस्त भूमि के पश्चिम दिशा में स्थित मकान में निवास कर रही है एवं निगरानीधीन पट्टे की भूमि में अपने पशुधन रखती है। वादग्रस्त भूमि को पक्षकारान के मध्य सन् 2000 से ही प्रकरण विचाराधीन चल रहे है। उक्त भूमि गैर निगरानीकार को तत्कालीन जागीरदार द्वारा कुंए के निर्माण हेतु आवंटन की गयी थी एवं वर्तमान में कुआं सुखने के पश्चात उक्त कुंए को माटी से भरवाकर उक्त भूमि ग्राम पंचायत नायला में सरेण्डर कर नियमानुसार आबादी का पट्टा अपने हक में जारी करवाया है। विवादित भूमि गैर निगरानीकार को माननीय सिविल न्यायालय के बंटवारा आदेश दिनांक 14.11.2018 द्वारा प्राप्त हुई है। निगरानीकार ने सारहीन तथ्यों के आधार पर निगरानी पेश की है जो कानूनी रूप से पोषणीय नहीं है। इसलिए निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जावे।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर सत्यमेव जयते

विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत की मूल पट्टा पत्रावली अप्राप्त है इसलिए पत्रावली पर उपलब्धद पट्टा पत्रावली की छायाप्रति के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जाना न्यायोचित समझते है। प्रकरण में गैर निगरानीकार संख्या 1 के आवेदन पत्र पर कार्यवाही करते हुए ग्राम पंचायत द्वारा आदेश दिनांक 21.07.2008 द्वारा वार्डपंच गण को निरीक्षण हेतु आदेशित किया गया। वार्डपंचगण द्वारा दिनांक 21.07.2008 मौका निरीक्षण किया गया एवं आबादी भूमि की बिक्री हेतु रिपोर्ट ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत की। जिसके आधार पर ग्राम पंचायत ने आपत्ति नोटिस जारी कर दिनांक 08.12.2009 को गैर निगरानीकार के हक में 86 वर्गगज का पट्टा जारी किये जाने के आदेश प्रदान किये जिसकी पालना में गैर निगरानीकार को पट्टा जारी किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि ग्राम पंचायत नायला द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 1 को मिसल संख्या 50 द्वारा आदेश दिनांक 08.12.0009 से क्षेत्रफल 81 वर्गगज एवं 86 वर्गगज का पट्टा जारी किया है, इसी संदर्भ में निगरानीकार द्वारा 86 वर्गगज के पट्टे को प्रशासन एवं स्थायी समिति पं.स. जमवारामगढ में अपील पेश की एवं 81 वर्गगज के पट्टे को न्यायालय हाजा के समक्ष चुनौती दी है। न्यायालय के समक्ष उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवं दस्तावेजात से स्पष्ट नहीं होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 1 के हक में एक ही मिसल से दो पट्टे जारी किये अथवा एक ही

21/12/24
अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

पट्टा जारी किया गया है किन्तु मिसल संख्या 50 से जारी पट्टे के क्षेत्रफलों में भिन्नता होना प्रथम दृष्टया परिलक्षित होता है। निगरानीधीन पट्टे पर सचिव के हस्ताक्षर नही है जबकि पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियम 167(2) अनुसार पट्टे पर सरपंच और सचिव के संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किये जायेगें। पट्टा पत्रावली की आदेशिका दिनांक 08.12.009 में ग्राम सचिव द्वारा निगरानीधीन पट्टे की भूमि के संबंध में माननीय सिविल न्यायालय के आदेश का नोट अंकित किया किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा देने की कार्यवाही में उक्त नोट/आपत्ति का निस्तारण नहीं किया जो नियमानुसार उचित नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा बिक्री के आधार 860/–रूपये राशि प्राप्त कर पट्टा जारी किया है जबकि ग्राम पंचायत को आबादी भूमि के विक्रय के लिये पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियम 145 से 154 की पालना की जाकर पट्टा जारी किया जाना चाहिए था। उभय पक्षों के मध्य विवादित भूमि के संबंध में माननीय सिविल न्यायालय में वाद/दावों में निर्णय पारित हुए है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीधीन पट्टा जारी करने से पूर्व पंचायती राज अधिनियम 1994 व पंचायती राज नियमो 1996 की अवहेलना किये जाने के कारण निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत नायला, पंचायत समिति जमवारामगढ द्वारा मिसल संख्या 50 दायर दिनांक 09.04.2008 में पारित आदेश दिनांक 08.12.2009 से गैर निगरानीकार संख्या 1 मूली देवी बोहरा पत्नि स्व. श्री हरिशंकर बोहरा जाति महाजन निवासी ग्राम नायला, तहसील जमवारामगढ के हक में जारी क्षेत्रफल 81 वर्गगज एवं 86 वर्गगज का पट्टा निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण में विकास अधिकारी पंचायत समिति जमवारामगढ को निर्देशित किया जाता है कि विवादित भूमि के संबंध में कमेटी का गठन किया जावे तथा कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण किया जावे एवं विकास अधिकारी पं.स. जमवारामगढ द्वारा विवादित भूमि के संबंध में माननीय सिविल न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों का अवलोकन कर पंचायती राज अधिनियम 1994 में निहित नियमों के आधार पर आबादी भूमि का निरस्तारण कराया जावे। निर्णय की प्रमाणित प्रति के अधीनस्थ ग्राम पंचायत को पालनार्थ भिजवाई जावें। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ विकास अधिकारी पं.स. जमवारामगढ की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.06.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेश कुमार नवल)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर